AFR

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय बिलासपुर

विवध दांडिक याचिका क्र० 2370/2018

आदेश सुरक्षित दिनांक 16.07.2020

आदेश तिथि दिनांक 05.08.2025

राजेश सिंह राणा, पिता श्री अजीत सिंह राणा, उम्र 37 वर्ष, व्यवसाय नौकरी, वर्तमान में संचालक, महिला एवं बाल विकास, सचिवालय महानदी भवन, नया रायपुर के पद पर पदस्थ है तथा निवासी डी-62, सिटी ऑफ ड्रीम, कचना, जिला रायपुर (छ०ग)

---------------------- **आवेदक**

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, जिला मजिस्ट्रेट, नारायणपुर, जिला नारायणपुर के माध्यम से
2. श्रीमती सरिता सोनी, विधवा स्व० आर०पी० सोनी, निवासी मंगला चौक, लाफागढ़ गैर एजेन्सी के पास, जिला बिलासपुर (छ०ग)

---------------------- **अनावेदकगण**

आवेदक द्वारा श्री राजीव श्रीवास्तव अधिवक्ता ।

अनावेदक क्र० 01 द्वारा श्री मतीन सिद्दीकी उप महाअधिवक्ता ।

अनावेदक क्र० 02 द्वारा श्री सौरभ डांगी अधिवक्ता ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के० अग्रवाल

सी०ए०वी० आदेश

01. इस मामले की अंतिम सुनवाई विडियो कॉनफ्रेसिंग के माध्यम से की गई।

02. आरक्षी केन्द्र नारायणपुर में मर्ग क्र० 34/12 पंजीकृत किया गया था जिसमें यह उल्लेख किया गया कि आरपी सोनी, ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा के कार्यकारी अभियंता ने मिट्टी का तेल अपने शरीर पर डालकर खुद को जलाकर आत्महत्या कर ली । इस मामले की जांच संबंधित क्षेत्राधिकार वाले पुलिस द्वारा की गई और अंततः खात्मा रिपोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत की गई परन्तु मजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया और दिनांक 14.01.2016 को कुछ बिन्दुओ पर अग्रिम अन्वेषण के लिये निर्देशित किया गया तत्पश्चात

अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । इस बार आदेश दिनांक 06.11.2017 के द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नारायणपुर के द्वारा धारा 190 दं०प्र०सं० के तहत धारा 306 सहपठित धारा 34 भादसं के तहत निम्नलिखित व्यक्तियों के विरूद्ध संज्ञान लेने के लिये निर्देशित किया गया -

1. याचिकाकर्ता राजेश सिंह राणा, मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला पंचायत नारायणपुर ।

2. मदन लाल नाग तकनिकी समनवकय जिला पंचायत नारायणपुर

3. गौतम कुमार जैन ठेकेदार

4. मुकेश कुमार जैन

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 190 दं०प्र०सं० के तहत उपरोक्तानुसार उपरोक्त व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त आधार पाये जाने पर संज्ञान लिया गया एवं याचिकाकर्ता को नोटिस जारी करने का आदेश भी दिया गया तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध विचारण हेतु प्रकरण को सत्र न्यायालय उपार्पित किया गया ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

03. उपरोक्त आदेश के विरूद्ध राजेश सिंह राणा के द्वारा पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी जिसे आदेश दिनांक 23.07.2018 के द्वारा विद्वान सत्र न्यायालय कोण्डागांव के द्वारा निरस्त किया गया, जिसके विरूद्ध धारा 482 दंप्रसं के तहत यह याचिका (सीआरएमपी नंबर 2370/2018) यह अभिवचनित करते हुये प्रस्तुत की गई की जिस आदेश के तहत संज्ञान लिया गया एवं पुनरीक्षण आदेश दोनों ही धारा 197 दंप्रसं में दिये प्रावधानों के विपरीत है एवं धारा 306 भा०दं०सं० के अंतर्गत उसके विरूद्ध कोई अपराध नहीं बनता है इसलिये याचिका स्वीकार की जाये ।

04. राज्य एवं शिकायतकर्ता द्वारा रिटर्न दाखिल किया गया, जिसमें याचिका में किये गये कथन का विरोध किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह भी कहा गया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के विरूद्ध उचित रूप से अपराध का संज्ञान लिया है एवं संज्ञान लिये जाने के आदेश दिनांक 06.11.2017 तथा विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा पारित पुनरीक्षण आदेश में हस्ताक्षेप किये जाने योग्य कोई मामला नहीं बनता है ।

05. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित हो रहे श्री राजीव श्रीवास्तव ने यह दलील दी कि विचारण न्यायालय द्वार धारा 190 दं०प्र०सं० के तहत संज्ञान लेकर गंभीर विधिक त्रुटि करते हुये इस तथ्य को अनदेखा किया है कि वर्तमान याचिकाकर्ता भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य है एवं केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना धारा 306 सहपठित् धारा 34 भा०दं०सं० का संज्ञान नहीं लिया जा सकता क्योंकि याचिकाकर्ता को केन्द्र सरकार द्वारा सेवा से हटाया जा सकता है एवं इसलिये स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी केन्द्र सरकार है, उन्होंने आगे यह अभिकथित किया कि याचिकाकर्ता विधि अनुसार कठोरता से अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा था इसलिये धारा 197 दंप्रसं के तहत केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति अत्यंत आवश्यक थी । उन्होंने यह भी कहा कि यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों को देखा भी जाये । धारा 306 भा०दं०सं० के तहत याचिकाकर्ता के विरूद्ध कोई अपराध नहीं बनता है । दोनों ही गणनाओं पर अर्थात सीआरपीसी की धारा 197 के साथ साथ आरोप के तथ्यों के संबंध में भी विवादित आदेश तथा आदेश दिनांक 06.11.2017 निरस्त किये जाने योग्य है एवं याचिकाकर्ता धारा 306 भा०दं०सं० के अपराध से उन्मोचित किये जाने का अधिकारी है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

06. राज्य की ओर से उपस्थित महाअधिवक्ता श्री मतीन सिद्दीकी द्वारा अभिकथित किय गया कि याचिकाकर्ता राजेश सिंह राणा आई०ए०एस० के सदस्य है और उनकी नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी केन्द्र सरकार है परन्तु विद्वान मजिस्ट्रेट एवं पुनरीक्षण न्यायालय के आदेश

समर्थकारी तथा विधि के अनुकूल है उन्होंने आगे यह अभिकथित किया कि याचिकाकर्ता के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 306 सहपठित धारा 34 का अपराध बनता है।

07. शिकायतकर्ता श्रीमती सरीना सोनी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभा डांगी द्वारा यह अभिकथित किया गया कि प्रथम दृष्ट्या याचिकाकर्ता के विरूद्ध धारा 306 भा०दं०सं० का अपराध बनता है और इसलिये विचारण न्यायालय द्वारा धारा 190 दं०प्र०सं० के तहत अपराध निर्मित किया जाना बिल्कुल न्यायपूर्ण है। यद्यपि मंजूरी के बिन्दु पर विचार नहीं किया गया तथापि इस मामले में मंजूरी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है।

08. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और उनके द्वारा उपरोक्त दी गई विरोधाभासी प्रस्तुतियों पर विचार किया और अभिलेख को भी अत्यंत गहनता से अध्ययन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

09. विद्वान मजिस्ट्रेट ने आदेश दिनांक 06.11.2017 के द्वारा धारा 190–1–बी दं०प्र०सं० के तहत धारा 306 सहपठित धारा 34 भा०दं०सं० के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने का निर्देश दिया है एवं प्रकरण को सत्र न्यायालय में उपार्पित करने के लिये भी निर्देशित किया है। यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य है और उसे केन्द्र सरकार की मंजूरी के बिना उसके पद से नहीं हटाया जा सकता, लेकिन विद्वान मजिस्ट्रेट ने दं०प्र०सं० की धारा 197 की प्रयोज्ता पर विचार नहीं किया। यद्यपि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने इस बिन्दु पर विचार विमर्श करने से इंकार कर दिया और कहा कि दं०प्र०सं० की 197 की मंजूरी या प्रयोज्ता का ऐसा कोई सवाल विचारण न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया गया है, जिसके कारण इस न्यायालय के समक्ष ये याचिकाएं दायर की गई है। इस स्तर पर धारा 190(1)(बी) दं०प्र०सं० पर ध्यान देना उचित होगा जो इस प्रकार कहती है कि –

190 मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान – (1) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुये, कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और उपधारा (2) के अधीन विशेषतः शसक्त कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, किसी भी अपराध का संज्ञान निम्नलिखत दशाओं में कर सकता है –

(a) XXX XXX XXX

(b) ऐसे तथ्यों के बारे में पुलिस रिपोर्ट पर ;

(c) XXX XXX XXX

10. इसी प्रकार दंप्रसं की धारा 197 (1) में निम्नानुसार कहा गया है कि – 197 न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन – (1) जब किसी व्यक्ति पर, जो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या ऐसा लोक सेवक है या था जिसे सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से ही उसके पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं, किसी ऐसे अपराध का अभियोग है जिसके बारे में यह अभिकथित है कि वह उसके द्वारा तब किया गया था जब वह अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य कर रहा था, जब उसका ऐसे कार्य करना तात्पर्यित था, तब कोई भी न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान –

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(क) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो संघ के कार्यकलाप के सम्बन्ध में, यथास्थिति, नियोजित है या अभिकथित अपराध के किए जाने के समय नियोजित था, केन्द्रीय सरकार की ;

(ख) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो किसी राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में, यथास्थिति, नियोजित है या अभिकथित अपराध के किए जाने के समय नियोजित था, उस राज्य सरकार की, पूर्व मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं ;

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

11. दंप्रसं की धारा 197 में निहित उपरोक्त प्रावधान धारा 190 में निर्धारित सामान्य नियम के अपवादों में से एक को शामिल करते हैं, जिसके अनुसार किसी भी अपराध का संज्ञान मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जा सकता है। दंप्रसं की धारा 193 तथा 195–199 न्यायालय की क्षमता को विनियमित करते है और इसके अनुपालन को छोडकर कुछ मामले में इसके अधिकारी क्षेत्र का रोकते हैं।

12. दं०प्र०सं० की धारा 197 का उद्देश्य लोक सेवक के विरूद्ध कष्टकारी कार्यवाही से बचाव करना तथा अभियोजन शुरू करने से पहले उच्च अधिकारी की सुविचारित राय अभिप्राप्त करना है। (देखे आर० आर० चारी विरूद्ध उत्तरप्रदेश राज्य) हालाकि धारा 197 दं०प्र०सं० को उपयोग में तभी लाया जा सकता है जब निम्नलिखित दो शर्तों की पूर्ति हो –

(1) अभियुक्त को इस धारा में उल्लेखित प्रकार का लोकसेवक होना चाहिये, अर्थात वह न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या ऐसा लोकसेवक होना चाहिये जिसे राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना उसके पद से न हटाया जा सके।

(2) अभियुक्त द्वारा अपराध अपने अधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुये या कार्य करने का अभिप्राय रखते हुये किया जाना चाहिये (देखे मदनराज विरूद्ध जालम सिंह लोढ़ा[2])

13. दं०प्र०सं० की धारा 197 में शब्दों ' नहीं ' और ' करेगा ' का प्रयोग स्पष्ट रूप से यह बताता है कि बिना पूर्व स्वीकृति के किसी अपराध का संज्ञान लेने की शक्ति पर प्रतिबंध पूर्ण और निरपेक्ष है (देखे महाराष्ट्र राज्य विरूद्ध डॉक्टर बुधीकोटा[3] तथा हिमांचल प्रदेश राज्य विरूद्ध एमपी गुप्ता[4])

14. इस प्रकार 'पूर्व स्वीकृति' का अर्थ है कि अपराध का संज्ञान लेने से पहले समुचित सरकार द्वारा अभियोजन को स्वीकृति दी जानी चाहिये।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

15. स्वीकृति की कमी का प्रश्न न्यायालय के क्षेत्राधिकार में निहित है और इसलिये न्यायालय को यथाशीघ्र इस बात पर विचार करना चाहिये कि क्या इस प्रावधान के तहत कानून में ऐसी स्वीकृति आवश्यक है और यदि आवश्यक है, तो क्या वह विधिवत दी गई है, और इस प्रश्न पर एक निश्चित राय व्यक्त करनी चाहिये । ऐसी आवश्यकता नहीं है कि अभियुक्त को यह दलील देने के लिये प्रतीक्षा करनी चाहिये कि बिना पूर्व अनुमति के संज्ञान लिया गया है या उसे आरोप विरचित किये जाने तक प्रतीक्षा करनी चाहिये, अभियुक्त संज्ञान लिये जाने एवं आदेशिका जारी किये जाने के तुरंत बाद दलील दे सकता है ।

16. जहां अभियुक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अंतर्गत लोकसेवक है तथा तथा दंप्रसं की धारा 197 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये मजिस्ट्रेट द्वारा इस प्रश्न पर निर्णय लेने से पहले कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता क्योंकि ऐसा संज्ञान लेने से पहले सरकार की मंजूरी आवश्य है और ट्रायल मजिस्ट्रेट अपने समन आदेश में इस पहलू पर विचार करने के लिये बाध्य है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. शंकरन मोइत्रा विरूद्ध साधना दास एवं अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि दंप्रसं की धारा 197 के अंतर्गत अभियोजन पक्ष को आपेक्षित मंजूरी के बिना शुरू नहीं किया जा सकता ।

रिपोर्ट के पैराग्राफ 11 एवं 22 में निम्न प्रकार से अभिनिर्धारित किया गया कि :–

" 11. हम पाते है कि भले ही हम शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की दलील को स्वीकार कर ले, कि दंप्रसं के धारा 197 (1) के तहत मंजूरी पहले से ही दी गई है या नहीं, इस पर विचार करने के लिये चरण अभी तक नहीं आया है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन में, जिसमें दं०प्र०सं० की धारा 210 का हवाला दिया गया और यह अभिकथित करते हुये आगमी कार्यवाही को स्थगित करने का निवेदन किया कि उसके द्वारा कारित कृत्य कर्तव्य पालन के दौरान किया गया था और उच्च न्यायालय के समक्ष दं०प्र०सं०

की धारा 482 के तहत प्रस्तुत आवेदन में, यह पुनरावृत्ति करने के अलावा कि कथित अपराध उसने अपने कर्तव्य पालन के दौरान किया था, उसने यह भी अभिकथित किया कि दं०प्र०सं० की धारा 197 (1) के तहत मंजूरी के अभाव में कार्यवाही प्रचलन योग्य नहीं है तथा कार्यवाही क्षेत्राधिकार विहीन है । निःसंदेह उच्च न्यायालय ने यह विचार किया है कि शिकायत संहिता की धारा 197 (1) को आकर्षित नहीं करेगी और यही कारण था कि अपीलकर्ता की प्रार्थना को खारिज कर दिया गया । अपीलकर्ता ने कार्यवाही को मंजूरी के अभाव में अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुये रद्द करने का अनुरोध किया है । शिकायकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी है कि सम्पूर्ण जांच में विलम्ब किया जा रहा है और संपूर्ण प्रक्रिया में विलंब इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये किया जा रहा है कि इसमें सम्मिलित अभियुक्त पुलिसकर्मी है और न्याय करने की तुलना में राज्य उन्हें बचाने में अधिक रूची रखता है जब हम इस दलील पर ध्यान देते तो दंप्रसं की धारा 197 (1) की प्रयोज्यता या अन्यथा पर निर्णय को स्थगित करने से केवल विचारण न्यायालय में कार्यवाही को विलंबित किया जा सकता है और यहां अभी न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय मामले की परिस्थितियों में अधिक उपयुक्त होगा विशेषकर जब इसमें सम्मिलित अभियुक्त पुलिसकर्मी है और शिकायत की प्रकृति को ध्यान में रखा गया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि संहिता की धारा 197 (1) के तहत मंजूरी नहीं मिलने से न्यायालय के कार्यवाही करने के क्षेत्राधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है परन्तु अभियुक्त के पास एकमात्र यह बचाव उपलब्ध है और अभियुक्त उचित समय पर बचाव कर सकता है, हम इस दलील को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है । धारा 197 (1) के शुरूवाती शब्द और इसके द्वारा प्राप्त किये जाने वाले उद्देश्य और इस न्यायालय के पहले उद्धृत निर्णय स्पष्ट रूप से संकेत देते है कि उस प्रावधान द्वारा प्रभावित अभियोजन पक्ष को बिना मंजूरी के शुरू नहीं किया जा सकता । एक लोक सेवक के सफल अभियोजन के

लिये यह पूर्ववर्ती शर्त है कि यह प्रावधान आकर्षित हो । यद्यपि यह प्रश्न आवश्यक रूप से आरंभ में नहीं बल्कि बाद के चरण में भी उठ सकता है इसलिये हम इस प्रश्न पर निर्णय स्थगित करने के अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकते "

18. सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्णयों के सिद्धांतों के प्रकाश में वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आते हुये, यह स्पष्ट है कि यद्यपि याचिकाकर्ता को केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना पद से नहीं हटाया जा सकता । तथापि विद्वान मजिस्ट्रेट ने इस मुद्दे पर विचार विमर्श भी नहीं किया कि अपराध का संज्ञान लेने से पूर्व दं०प्र०सं० की धारा 197 के तहत मंजूरी की आवश्यकता है या नहीं क्योंकि याचिकाकर्ता (राजेश सिंह राणा) का मामला यह है कि जिला पंचायत नारायणपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी होने के नाते उक्त अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं है उन्हें अनावश्यक रूप से शामिल किया गया है तथा घसीटा गया है, ऐसे में विद्वान मजिस्ट्रेट के दं०प्र०सं० की धारा 190(1)(बी) के तहत अपराध का संज्ञान लेने से पूर्व दं०प्र०सं० की धारा 197 की प्रयोज्ता पर विचार करना आवश्यक है । विद्वान मजिस्ट्रेट को यह तय करना था कि याचिकाकर्ता/लोकसेवक द्वारा किये गये या न किये जाने वाले कार्य के लिये दं०प्र०सं० की धारा 197 के तहत मंजूरी की आवश्यकता है या नहीं, यदि ऐसा है तो अधिकारी को दं०प्र०सं० की धारा 197 के तहत संरक्षण और छूट दिया जाना आवश्यक होगा । हालाकि यदि यह आरोप लगाया जाता है कि यह अधिकारिक क्षमता में नहीं है तो अधिकारी को संरक्षित नहीं किया जायेगा लेकिन विद्वान मजिस्ट्रेट ने दं०प्र०सं० की धारा 190(1)(बी) के तहत उपरोक्त अपराध का संज्ञान लिये जाने से पूर्व धारा 197 दं०प्र०सं० के आज्ञापक प्रावधानों की प्रयोज्ता पर विचार नहीं किया है । पुनरीक्षण न्यायालय ने इस अभिवाक पर भी विचार नहीं किया कि ऐसा अभिवाक विचारण न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया गया है एवं बल्कि इस बिन्दु पर भी ध्यान नहीं दिया कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान लिये

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

जाते समय याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया और उसे नोटिस नहीं दिया गया और समन जारी करने के बाद उसने उस आदेश पर सवाल उठाते हुये पुनरीक्षण दायर किया परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता के संबंध में विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 0611.2017 को पारित आदेश और पुनरीक्षण न्यायालय का आदेश दिनांक 23.07.2018, दोनों को अलग रखा गया और केवल याचिकाकर्ता के संबंध में कानून अनुसार नया आदेश पारित करने के लिये विद्वान मजिस्ट्रेट को भेज दिया गया । यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले के गुणदोष के बारे में कोई राय व्यक्त नहीं की है तथा अन्य सह अभियुक्तों के बारे में भी राय व्यक्त नहीं की है ।

19. याचिका उपरोक्त दर्शित सीमा तक के लिये स्वीकार की जाती है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
(संजय के० अग्रवाल)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur